



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052026-272288
CG-DL-E-07052026-272288

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2154]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948

No. 2154]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2026

का.आ. 2243(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3486 (अ), दिनांक 12.08.2024 एवं का.आ. 4502(अ) दिनांक 01.10.2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 14.08.2024 एवं 01.10.2025 तदनुसार में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा झारखंड राज्य में हजारीबाग – रांची नैचुरल गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को दिनांक 06.11.2025 से उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी

है,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की दिनांक से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी;

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूचि संलग्न

अनुसूची

अंचल- डाड़ी		ज़िला- हज़ारीबाग़	राज्य -झारखंड		
क्रम सं.	मौजा/थाना सं.	सर्वे-प्लॉट-सं	क्षेत्रफळ		
			हेक्टर	आरे	वर्ग-मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कुरा थाना नं.-30	401	00	42	34
		402	00	00	43
		404	00	00	25
		396	00	19	98
		405	00	01	53
		395	00	10	72
		341	00	33	56
		388	00	02	47
		387	00	03	76
		427	00	23	66
		385	00	01	95
		383	00	01	68
428	00	00	45		
2	रिक्वा थाना नं.-31	1	00	00	45
		3	00	90	80
		53	00	01	66
		52	00	07	04
		51	00	05	17
		50	00	01	60

अंचल- डाड़ी		ज़िला- हज़ारीबाग़	राज्य -झारखंड		
क्रम सं.	मौजा/थाना सं.	सर्वे-प्लॉट-सं	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आरे	वर्ग-मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		108	00	00	69
		74	00	06	00
		73	00	07	77
		75	00	00	06
		76	00	01	21
		77	00	05	97
		78	00	00	35
		99	00	05	48
		95	00	05	50
		94	00	02	57
		84	00	03	94
		187	01	57	03
		1139	00	08	63
		1140	00	91	20
		454	00	03	90
		449	00	76	12
		458	00	00	51
		490	00	03	34
		488	00	00	83
		485	00	02	97
		483	00	01	26
		509	00	02	71
		507	00	04	07
		505	00	01	85
		519	00	01	50
		552	00	16	77
		588	00	32	60
		587	00	00	50
3	खपिया थाना नं.-29				

अंचल- पतरातू		ज़िला- रामगढ़	राज्य -झारखंड		
क्रम सं.	मौजा/थाना सं.	सर्वे-प्लॉट-सं	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आरे	वर्ग-मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	पोचरा थाना नं.-80	2	00	08	02
		178	00	28	98
		111	00	06	25
		110	00	01	99
		115	00	03	19
		114	00	00	67
		125	00	09	29
		126	00	02	54
		124	00	00	59
		121	00	10	49
		122	00	01	27
		91	00	05	63
		90	00	00	31
		88	00	00	26
		89	00	02	88
		55	00	06	84
		87	00	01	04
		56	00	01	36
		57	00	05	86
		61	00	02	37
		59	00	02	18
		68	00	06	72
		39	00	34	29
		25	00	00	01
		27	00	00	98
		29	00	03	28
		31	00	02	50
		28	00	00	31
		34	00	12	86
		35	00	01	14
36	00	03	16		
355	00	01	33		

अंचल- पतरातू		ज़िला- रामगढ़	राज्य -झारखंड		
क्रम सं.	मौजा/थाना सं.	सर्वे-प्लॉट-सं	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आरे	वर्ग-मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		358	00	00	59
		357	00	04	95
		392	00	05	87
		393	00	01	20
		394	00	00	21
		391	00	01	26
		386	00	01	47
		387	00	01	73
		388	00	02	97
		389	00	02	10
		390	00	00	33
		461	00	00	13
		395	00	01	99
		397	00	00	98
		460	00	01	02
		399	00	00	62
		398	00	00	40
		451	00	03	97
		400	00	00	80
		402	00	00	86
		404	00	00	10
		447	00	00	61
		446	00	00	97
		441	00	02	85
		442	00	01	31
		443	00	03	98
		879	00	05	75
		878	00	05	88
		865	00	15	01
		915	00	00	51
		948	00	04	90
		947	00	01	14

अंचल- पतरातू		ज़िला- रामगढ़	राज्य -झारखंड		
क्रम सं.	मौजा/थाना सं.	सर्वे-प्लॉट-सं	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आरे	वर्ग-मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		951	00	01	52
		959	00	01	16
		958	00	01	51
		960	00	01	38
		978	00	02	64
		977	00	05	76
		976	00	01	70
		972	00	00	34
		971	00	02	92
		967	00	00	61
		970	00	00	55
		979	00	01	13
		980	00	02	69
		1003	00	04	71
		1010	00	05	99
		1011	00	02	72
		1001	00	01	21
		1000	00	05	69
		1042	00	02	32
		1044	00	01	68
		1051	00	02	30
		1041	00	01	15
		1052	00	02	89
		1053	00	01	03
		1059	00	05	91
		1060	00	01	25
		1062	00	01	92
		1063	00	02	38
		1064	00	04	64
		1065	00	03	62

अंचल- पतरातू		ज़िला- रामगढ़	राज्य -झारखंड		
क्रम सं.	मौजा/थाना सं.	सर्वे-प्लॉट-सं	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आरे	वर्ग-मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	छोटकाकाना थाना नं. -79	1260	00	01	29
		1268	00	07	12
		1269	00	08	48
		1270	00	02	16
		1274	00	00	36
		1279	00	00	62
		1280	00	03	38
		1278	00	00	92
		1277	00	01	84
		1276	00	00	14
		1307	00	08	11
		1309	00	00	86
		1311	00	12	87
		1310	00	02	71

अंचल- दुलमी		ज़िला- रामगढ़	राज्य -झारखंड		
क्रम सं.	मौजा/थाना सं.	सर्वे-प्लॉट-सं	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आरे	वर्ग-मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	गोडातु थाना नं. -101	31	00	10	86
7	बोगई थाना नं. -138	200	00	12	98
		219	00	06	46
		218	00	00	66
		209	00	03	65
		207	00	09	94
		210	00	00	13
		211	00	01	20
		212	00	01	77

[फा. सं. L-14014-18-2024-GP-II (E-49647)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th May, 2026

S.O. 2243(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 3486(E) Dated 12.08.2024 and S.O. 4502(E) dated 01.10.2025 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 14.08.2024 and 01.10.2025 correspondingly, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Hazaribagh- Ranchi Natural Gas Pipeline in the State of Jharkhand by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public from 06.11.2025.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

Encl. Schedule

SCHEDULE

Block- Dadi		Dist.-HAZARIBAGH	State: JHARKHAND		
SI No.	Mauja / Thana No.	Survey/Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KURA THANA NO.- 30	401	00	42	34
		402	00	00	43
		404	00	00	25
		396	00	19	98
		405	00	01	53
		395	00	10	72
		341	00	33	56
		388	00	02	47
		387	00	03	76
		427	00	23	66
		385	00	01	95
		383	00	01	68
		428	00	00	45

Block- Dadi		Dist.-HAZARIBAGH	State: JHARKHAND		
SI No.	Mauja / Thana No.	Survey/Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	RIKWA THANA NO.- 31	1	00	00	45
		3	00	90	80
		53	00	01	66
		52	00	07	04
		51	00	05	17
		50	00	01	60
		108	00	00	69
		74	00	06	00
		73	00	07	77
		75	00	00	06
		76	00	01	21
		77	00	05	97
		78	00	00	35
		99	00	05	48
		95	00	05	50
		94	00	02	57
		84	00	03	94
		187	01	57	03
1139	00	08	63		
1140	00	91	20		
3	KHAPIA THANA NO.- 29	454	00	03	90
		449	00	76	12
		458	00	00	51
		490	00	03	34
		488	00	0	83
		485	00	02	97
		483	00	01	26
		509	00	02	71
		507	00	04	07
		505	00	01	85
		519	00	01	50
		552	00	16	77
		588	00	32	60
587	00	00	50		

Block- PATRATU		Dist.- RAMGARH	State: JHARKHAND		
SI No.	Mauja / Thana No.	Survey/Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	POCHRA THANA NO.- 80	2	00	08	02
		178	00	28	98
		111	00	06	25
		110	00	01	99
		115	00	03	19
		114	00	00	67
		125	00	09	29
		126	00	02	54
		124	00	00	59
		121	00	10	49
		122	00	01	27
		91	00	05	63
		90	00	00	31
		88	00	00	26
		89	00	02	88
		55	00	06	84
		87	00	01	04
		56	00	01	36
		57	00	05	86
		61	00	02	37
		59	00	02	18
		68	00	06	72
		39	00	34	29
		25	00	00	01
		27	00	00	98
		29	00	03	28
		31	00	02	50
		28	00	00	31
34	00	12	86		
35	00	01	14		
36	00	03	16		
355	00	01	33		
358	00	00	59		
357	00	04	95		

Block- PATRATU		Dist.- RAMGARH	State: JHARKHAND		
SI No.	Mauja / Thana No.	Survey/Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		392	00	05	87
		393	00	01	20
		394	00	00	21
		391	00	01	26
		386	00	01	47
		387	00	01	73
		388	00	02	97
		389	00	02	10
		390	00	00	33
		461	00	00	13
		395	00	01	99
		397	00	00	98
		460	00	01	02
		399	00	00	62
		398	00	00	40
		451	00	03	97
		400	00	00	80
		402	00	00	86
		404	00	00	10
		447	00	00	61
		446	00	00	97
		441	00	02	85
		442	00	01	31
		443	00	03	98
		879	00	05	75
		878	00	05	88
		865	00	15	01
		915	00	00	51
		948	00	04	90
		947	00	01	14
		951	00	01	52
		959	00	01	16
		958	00	01	51
		960	00	01	38

Block- PATRATU		Dist.- RAMGARH	State: JHARKHAND		
SI No.	Mauja / Thana No.	Survey/Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		978	00	02	64
		977	00	05	76
		976	00	01	70
		972	00	00	34
		971	00	02	92
		967	00	00	61
		970	00	00	55
		979	00	01	13
		980	00	02	69
		1003	00	04	71
		1010	00	05	99
		1011	00	02	72
		1001	00	01	21
		1000	00	05	69
		1042	00	02	32
		1044	00	01	68
		1051	00	02	30
		1041	00	01	15
		1052	00	02	89
		1053	00	01	03
		1059	00	05	91
		1060	00	01	25
		1062	00	01	92
		1063	00	02	38
		1064	00	04	64
		1065	00	03	62
		1260	00	01	29
		1268	00	07	12
		1269	00	08	48
		1270	00	02	16
		1274	00	00	36
		1279	00	00	62
		1280	00	03	38
5	CHHOTKAKANA THANA NO.-79	1278	00	00	92

Block- PATRATU		Dist.- RAMGARH	State: JHARKHAND		
SI No.	Mauja / Thana No.	Survey/Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1277	00	01	84
		1276	00	00	14
		1307	00	08	11
		1309	00	00	86
		1311	00	12	87
		1310	00	02	71

Block- DULMI		Dist.-RAMGARH	State: JHARKHAND		
SI No.	Mauja / Thana No.	Survey/Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	GODATU THANA NO.101	31	00	10	86
7	BOGAI THANA NO.138	200	00	12	98
		219	00	06	46
		218	00	00	66
		209	00	03	65
		207	00	09	94
		210	00	00	13
		211	00	01	20
		212	00	01	77

[F. No. L-14014-18-2024-GP-II (E-49647)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.